तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इतिशियल्य जज
05/7/21	बमुलाहिजा पक्षकारान उप०। विद्वान अधिवक्तागण की बहस सुनी गई, वादी व प्रतिवादी वकील को विभाजन प्रस्ताव पर कोई आपत्ति नहीं है, दोनों पक्ष ने मौखिक विभाजन प्रस्ताव के अनुसार अंतिम डिक्री जारी करने का निवेदन किया गया। ऐसी स्थिति में वादी के वाद को विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार कर अंतिम डिक्री विभाजन से निकाली गई, वादी वकील ने स्टाम्प पेश किया गया। डिक्री पर्चा जारी हो, निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया जाकर शामिल मिसल [illegible] गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर [illegible] से का हो

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस

राजस्व वाद संख्या – 185 / 2017

वादी	बनाम	प्रतिवादीगण
1 [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर		1 [illegible] पुत्र [illegible] 2 [illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर 3 राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

उपस्थिति – 1 श्री [illegible] वकील वादी

2 श्री [illegible] वकील प्रतिवादी संख्या 1 ता 3

अन्तिम निर्णय **दिनांक :– 05.07.2021**

संक्षिप्त में वाद कथन के सुसंगत तथ्य इस प्रकार है कि मौजा कालेवा के खेत खसरा नं0 657 रकबा 8.07 बीघा किस्म बारानी सोयम व खसरा नं0 659 रकबा 85.16 बीघा किस्म बारानी सोयम कुल रकबा 94.03 बीघा भूमि के सम्बन्ध में सहखातेदारान ने बंटवारा हेतु [illegible] दी है प्रस्तुत वाद दिनांक 28.06.2018 को प्राथमिक रूप से स्वीकार कर तहसीलदार **पचपदरा** को मौके पर उभय पक्षकारान के कब्जा काश्त अनुसार विभाजन कर प्रस्ताव तैयार करने हेतु अधिकृत किया गया था।

तहसीलदार **पचपदरा** द्वारा [illegible] प्राथमिक डिक्री विभाजन प्रस्ताव अपने पत्रांक 2179 दिनांक 22.10.2020 से तैयार कर उपलब्ध कराया गया।नायब तहसीलदार [illegible] द्वारा विभाजन प्रस्ताव तैयार करने से पूर्व मौके पर सह खातेदारान मौतबरान व पड़ौसी काश्तकारों के समक्ष मौका देखा । उभय पक्ष को तलब कर उपस्थित वादी /प्रतिवादी के समक्ष विभाजन प्रस्ताव मौके के कब्जा काश्त एवं वर्तमान राजस्व रेकर्ड में अंकित खातेदारों के अनुसार तैयार किया गया प्रतिवेदित हुआ है जिसे स्वीकार करने में किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति प्रतीत नही होती है।

वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है–

क्र.सं.	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं.	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रू.)	खाता में अंकित नं.
1	[illegible] [illegible] [illegible] पि. [illegible] जाति [illegible] सा. [illegible] खातेदार योग	कालेवा	[illegible] / 659 [illegible] / 659 [illegible] [illegible]	0–17 6–05 [illegible] [illegible]	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0.05 0.25 1.50 1.90	
2	[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] योग	कालेवा	[illegible] / 659 [illegible] [illegible] [illegible]	[illegible]	बा.सो. बा.सो. [illegible] [illegible]	9–12 1.26 0.44 1.32	
3	[illegible] पुत्र [illegible] जाति [illegible] निवासी [illegible] योग	कालेवा	[illegible] [illegible] / 659 [illegible] / 659 [illegible]	[illegible] [illegible] [illegible] [illegible]–04	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0.50 0.[illegible] 1.28 1.32	
4	[illegible] [illegible] [illegible] पि. [illegible] जाति [illegible] सा. [illegible]	कालेवा	[illegible] / 659	2–11	बा.सो.	9–17	

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified
Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव रकबे / तफसीलानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रकबे में अमल दरामद करें। विभाजन नक्शा इस निर्णय का अभिन्न अंग होगा। वकील वादी स्टाम्प शुल्क प्रस्तुत करने पर डिग्री पर्चा मुर्तिब हो। खर्चा पक्षकारान अपना-अपना वहन करें।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा
(S.D.O.)

निर्णय आज दिनांक 05.07.2021 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

सहायक कलेक्टर
(एस.डी.ओ.) बालोतरा

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:49 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner

अन्तिम डिकरी व मुकदमे इब्तदाई

([illegible])

(Cill Procedure Code Appendix 'd' 1)

न्यायालय सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा
पीठासीन अधिकारी – श्री नरेश सोनी , आर.ए.एस.

राजस्व वाद संख्या :– 185 / 2017

वादी

1 गगाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी कवरली, तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर

बनाम

प्रतिवादीगण

1. छतराराम पुत्र आदाराम
2. चैनाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासीयान कंवरली तहसील पचपदरा जिला बाड़मेर
3. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार पचपदरा

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू न्यायालय बहाजरी श्री राजेन्द्रपाल सिंह वकील वादी मिनजानिब श्री अचलाराम थोरी मुददायलाह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिकरी दी जाती है कि वादी के वाद एवं विभाजन प्रस्ताव को फाईनल रूप से निम्नानुसार स्वीकार किया जाकर वादग्रस्त आराजी पृथक–पृथक विभाजित की जाती है:–

क्र स	नाम खातेदार	नाम ग्राम	खसरा नं	रकबा (बीघा में)	किस्म भूमि	लगान (रू0)	नक्शा में अंकित रंग
1	छुतराराम गगाराम, चैनाराम पि आदाराम कौम जाट सा कवरली खातेदार योग :–	कालेवा	916 / 659 916 / 659 91 6 / 659 03	0–17 4–05 25.02 30.04	बा सो बा सो बा सो बा. सो	0.05 0.25 1.50 1.80	
2	गगाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी कवरली योग :–	कालेवा	916 / 659 916 / 659 91 6 / 659 03	2–0 20.15 7–09 30–04	बा सो बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0–12 1.24 0.44 1.32	
3	चैनाराम पुत्र आदाराम जाति जाट निवासी कवरली योग :–	कालेवा	657 916 / 659 91 6 / 659 03	08–09 1–0 20–17 30–04	बा.सो. बा.सो. बा.सो. बा.सो.	0.50 0.06 1.26 1.32	
4	चुतराराम गगाराम चैनाराम पि. आदाराम कौम जाट सा0 कवरली	कालेवा	916 / 659	2–11	बा.सो	0–17	

तहसीलदार, पचपदरा को आदेशित किया जाता है कि वह उपरोक्तानुसार उक्त विभाजन प्रस्ताव रेकर्ड व मौकानुसार राजस्व रिकार्ड में विधिवत रूप से वर्तमान रेकर्ड में अमल दरामद करे।

बीज मुबलिग बाबत खर्चा इस मुकदमें के मय सूद व शरह फीसदी सालाना आज की तारिख में तारिख वसूलयाबी तक को अदा करे।

बसख्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख 05.07.2021 को जारी की गई।

सहायक कलक्टर (एस.डी.ओ.) बालोतरा

(S.D.O.)

Signature Not Verified

Digitally signed by Naresh Soni
Date: 2022.03.27 18:32:49 IST
Reason: SelfAttested

मुददई	रूपया	पै	मुददायलाह	[illegible]	[illegible]
स्टाम्प अरजीदावा	4–00		[illegible]		
स्टाम्प वकालतनामा	1–00		[illegible]		
स्टाम्प वजह सबूत			महताना वकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
फीस कमिश्नर			फीस कमिश्नर		
बबत इजराय			बाबत इजराय		
हुम्मनामा			हुम्मनामा		
मुतफरिक			मुतफरिक		
मीजान			मीजान		

Scanned with CamScanner